कार्यालय चुनाव अधिकारी
गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब
नानकमत्ता जिलाः ऊधम सिंह नगर

नोटिस

संख्या : 05/GSNMS/Elections दिनांकः– 01-11-2016

सर्व साधारण व सभी सम्बन्धित को इस नोटिस द्वारा गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के चुनाव के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं दी जा रही है। कृप्या सूचित होः–

1. गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में डेलिगेट के चुनाव, डेलिगेट चुने जाने के लिए शर्ते, आदि के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण/सूचनाएं जारी किए गऐ हैं। यह स्पष्टीकरण/सूचनाएं गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार्यालय में भी उपलब्ध है। कृप्या इन स्पष्टीकरण व सूचनाओ से सूचित हो तथा सही प्रकार से व सही डेलिगेट, जो कि निडर, ईमानदार, मर्यादा अनुसार कार्य करने वाले हो, को चुने तथा इस चुनाव को सफल बनाएं।
2. जिन गुरूद्वारो ने गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के साथ पंजीकरण हेतू रजिस्ट्रेशन फार्म भरे व जमा किए है, उन सभी गुरूद्वारो की सूची, संयुक्त रूप से व हल्का अनुसार जारी की गई है। यह सूचियां गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार्यालय में भी अवलोकन हेतु उपलब्ध है। कुल 1320 गुरूद्वारो द्वारा पंजीकरण हेतू आवेदन किया गया है।
3. पूर्व मे भी जारी अधिसूचना सं0 1 दिनांकित 27.9.2016 के अनुसार, पंजीकरण हेतू आवेदन करने वाले गुरूद्वारो के विरूद्ध, यदि कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति दिनांक 09.11.2016 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय, नानकमत्ता साहिब में पहुंच जानी चाहिए।
4. आपत्ति एक पत्र के रूप में चुनाव अधिकारी को सम्बोधित होगी तथा आपत्ति पत्र के साथ एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि–जो आपत्ति की जा रही है वह सब सही व सत्य और आपत्तिकर्ता को इसका ज्ञान है और आपत्तिकर्ता चुनाव

अधिकारी द्वारा बुलाने पर चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश होने को तैयार है। घोषणा पत्र पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर, पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, फोन नम्बर या मोबाईल नम्बर अवश्य होने चाहिए। उक्त घोषणा पत्र ना होने पर आपत्ति पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

5. आपत्ति निम्न बिन्दुओ पर की जा सकती है –

   a. एक ही गुरूद्वारे ने अलग–अलग नाम से तथा अलग–अलग मैम्बर दिखा कर एक से अधिक आवेदन पत्र दिया है। पूरा विवरण दें।

   b. आवेदन करने वाला गुरूद्वारा अधिसूचना संख्या 1 दिनांक 27/9/16 द्वारा जारी पंजीकरण की शर्तो का पालन अथवा पूर्ण नहीं करता है। जिस शर्त का पालन नही हो रहा वह शर्त स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। केवल यह कहना कि शर्तो का पालन नहीं हो रहा पर्याप्त नही होगा और आपत्ति को अधूरा व अस्पष्ट माना जाएगा व आपत्ति पर कार्यवाही नही होगी।

6. यदि किसी गुरूद्वारे का नाम त्रुटिवश गलत हल्के में दर्शित है, तो उसे सही करवाने हेतू भी आवेदन किया जा सकता है।

7. यदि किसी गुरूद्वारे ने रजिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना पत्र दिया है परंतु त्रुटिवश गुरुद्वारे का नाम किसी भी हलके में दर्शित नही है , तो इस संबंध में प्रार्थन पत्र दिया जा सकता है।

8. माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच (संयुक्त पीठ) ने स्पेशल अपील नं0 278/2016, 276/2016, 296/2016, 297/2016 में पारित अपने निर्णय दिनांकित 27.10.2016 में सभी अपील निरस्त करते हुए यह आदेश दिया है कि चुनाव अधिसूचना संख्या 1 दिनांक 27/9/16 के अनुसार ही कराएं जाए। अतः आपके सहयोग की अपेक्षा है।

ह0/–
कंवर अमनिन्दर सिंह
चुनाव अधिकारी